संख्या- 4-283 /38-6-15-9एसजीएसवाई/11

प्रेषक,

प्रभात कुमार श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 **लखनऊ दिनांक 04 मार्च, 2015**

विषय- वित्तीय वर्ष 2013-14 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत विलेज हाट के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा जनपद-महोबा हेतु अवमुक्त किये गये केन्द्रांश की द्वितीय किश्त के सापेक्ष सामान्य मद अनुदान सं-13 से मैचिंग राज्यांश की शार्टफाल की धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, ग्राम्य किवास विभाग, उ0प्र0 के पत्रांक-2270/आजीविका-वि0हा0-द्वि0कि0/ए.मा.से./2013-14, दिनांक-29 मई, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना/एनआरएलएम के अन्तर्गत सामान्य मद अनुदान संख्या-13 में हुई बजट व्यवस्था से जनपद-महोबा के विलेज हाट के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये केन्द्रांश की द्वितीय किश्त के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की शार्टफाल की धनराशि रू0-2.70 लाख(रूपये दो लाख सत्तर हजार मात्र) आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के पूर्व योजनान्तर्गत पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा।

(2) योजनान्तर्गत धनराशि का आहरण केन्द्रांश प्राप्ति के सापेक्ष आवश्यक राज्यांश की सीमा तक किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं धनराशि का व्यय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार विलेज हाट योजनान्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुरूप ही किया जायेगा। धनराशि के आहरण व वितरण के लिये जनपदों के संबंधित अधिकारी यथास्थिति पूर्णतया जिम्मेदार होंगे। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है, तो इसकी सूचना तत्काल आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ.प्र. लखनऊ को प्राप्त करायी जायेगी।

(3) वित्तीय वर्ष 2014-15 में अवमुक्त की जा रही मैचिंग राज्यांश की शार्टफाल की धनराशि रू0-2.70 लाख(रूपये दो लाख सत्तर हजार मात्र) में से, प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष ही जनपद को तत्काल उपलब्ध करायी जाये, जिससे जिलाधिकारी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार/विलेज हाट योजनान्तर्गत केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश अवमुक्त कर सकें। धनराशि का आहरण जनपद द्वारा निर्धारित परिव्यय की सीमा के भीतर ही किया जायेगा।

(4) केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जायें, जिससे भारत सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में धनराशि की कटौती न की जा सके। वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त धनराशि समर्पित कर दी जायेगी।

(5) यह धनराशि आहरित/व्यय करने से पूर्व आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये

http://shasanadesh.up.nic.in

कि योजनान्तर्गत निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया गया है और उससे विचलन न हो।

(6) आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम द्वारा वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-795/दस-2014-231/2014, दिनांक-14 मार्च, 2014 एवं कार्यालय ज्ञाप दिनांक-22 जुलाई, 2014 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय व्ययक अनुदान संख्या-13 के अंतर्गत स्वीकृत की जाने वाली धनराशि लेखा शीर्षक "2501-ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-02-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-0201-स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (जिला योजना) (के.75/रा.25-रा.)-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-2-179/दस-2015, दिनांक-03 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रभात कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

संख्या- -283 (1)/38-6-2015 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाककार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ.प्र., इलाहाबाद।
2. मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, नवाँ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
3. मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम/निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
5. संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ.प्र. द्वारा-आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
6. अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास विभाग, उ.प्र., लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8. ग्राम्य विकास अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-3
9. राज्य योजना आयोग-1/2
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रभात कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in